

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2022

थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

थाना मीरगंज जनपद बरेली पर दिनांक 13.11.2022 को मुफीद खां पुत्र स्व0 अहीद खां निवासी ग्राम बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली की गुमशुदगी पंजीकृत होने के उपरान्त दिनांक 16.11.2022 को गुमशुदा मुफीद खां का शव थाना शाही क्षेत्रान्तर्गत बरामद होने पर उक्त गुमशुदगी को मु0अ0सं0 476/2022 धारा 302/201/120B/34 IPC में तरमीम घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली निर्देशन में अपराध पर नियंत्रण व अपराधियों पर कार्यवाही करने के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बरेली के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा थाना मीरगंज पर दिनांक 13.11.2022 को दर्ज गुमशुदगी से मु0अ0सं0 476/2022 धारा 302/201/120B/34 IPC में तरमीम किया गया था। उक्त अभियोग में दौरान विवेचना अभि0गण 1. शहबाज पुत्र वलीदाद निवासी ग्राम बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली 2. भूरा पुत्र आविद 3. इस्लाम पुत्र सलामत नि0गण ग्राम म्यूड़ी थाना शाही जनपद बरेली के नाम प्रकाश में आये। प्रकाश में आये अभियुक्तगणों में से अभियुक्त शहबाज व भूरा उपरोक्त को दिनांक 18.11.2022 को मय 42320 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटर साईकिल नं0 UP 25 CK 5439 सहित नल नगरिया तिराहा थाना मीरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किए गये। अभि0गण के द्वारा घटना का इकबाल करते हुए बताया है कि हमने मृतक श्री मुफीद खां पुत्र स्व0 अहीद खां निवासी ग्राम बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली की रंजिश के चलते योजना बनाकर हत्या करके शव को पहले ईख के खेत में तथा 04 दिन बाद शव को ईख के खेत से हटाकर भाखडा नदी पार करके ग्राम ठिरिया कल्यानपुर थाना शाही क्षेत्र में गेंहू के खेत में छिपाने के उद्देश्य से डालना बताया गया तथा यह भी बताया कि शहबाज के द्वारा मुफीद की हत्या करने के लिए भूरा व इस्लाम को तीन लाख रुपये सुपारी के तौर पर देना तय किए गये थे और योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभि0गण:-

1. शहबाज पुत्र वलीदाद निवासी ग्राम बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
2. भूरा पुत्र आविद निवासी ग्राम म्यूड़ी थाना शाही जनपद बरेली।

गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त:-

1. इस्लाम पुत्र सलामत निवासी ग्राम म्यूड़ी थाना शाही जनपद बरेली।

अभियुक्त शहबाज का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 476/2022 धारा 302/201/120B/34 IPC थाना मीरगंज, बरेली।
2. मु0अ0सं0 221/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना शहजादनगर, रामपुर।

अभियुक्त भूरा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 476/2022 धारा 302/201/120B/34 IPC थाना मीरगंज, बरेली।
2. मु0अ0सं0 29/2013 धारा 376/504 IPC थाना शाही, बरेली।

बरामदगी का विवरण:-

1. 42320 रुपये (बयालीस हजार तीन सौ बीस रुपये) नकद
2. घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटर साईकिल नं0 UP 25 CK 5439

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मीरगंज, बरेली।
2. श्री अली हसन निरीक्षक अपराध थाना मीरगंज, बरेली।
3. का0 2954 पुनीश कुमार थाना मीरगंज, बरेली।
4. का0 3366 अश्वनी कुमार थाना मीरगंज, बरेली।